संख्या 6825-ग्रा०पं०

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(सामुदायिक विकास एवं पंचायत)

पंचायती राज निदेशालय

प्रेषक

श्री के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
पो० हिनू, रांची।
*अनौपचारिक रूप से *(द्वारा वित्त विभाग) परामर्शित।

पटना, दिनांक 13 जुलाई 1974।

विषय—जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं पदाधिकारियों के पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार ने हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, धनबाद एवं संथाल परगना जिलों में जिला स्तर पर जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान तथा सहरसा एवं दरभंगा में प्रमण्डल स्तर पर मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की स्वीकृति दी है। रांची एवं भागलपुर में प्रमंडलीय स्तर पर चल रहे मुखिया-सरपंच प्रशिक्षण संस्थान अब सिर्फ रांची एवं भागलपुर जिला में स्तर पर कार्य करेंगे और उसका नाम बदलकर जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान रखा जाता है। सहरसा प्रमंडलीय मुखिया-सरपंच प्रशिक्षण संस्थान अपने प्रमंडल क्षेत्र के अतिरिक्त मुंगेर जिला क्षेत्र में भी कार्य करेगा।

दरभंगा जिला में प्रशिक्षण संस्थान प्रमंडलीय स्तर पर कार्य करेगा और इसका क्षेत्र पूरा प्रमंडल रहेगा।

उपर्युक्त संस्थान के लिये निम्नलिखित पद इस आदेश के निर्गत की तिथि से सृजित किये जाते हैं और सरकार के अगले आदेश तक बने रहेंगे।

पदनाम	पद	वेतनमान
1. प्राचार्य (उप-समाहर्ता की कोटि के)	8	510—1,155
2. व्याख्याता (प्रवर कोटि के पंचायत पर्यवेक्षक)	16	335—555
3. निम्नवर्गीय लिपिक	8	220—315
4. चपरासी-सह-मदनी	8	155—190

इससे संबंधित व्यय विवरण संलग्न है।

उक्त पदों का व्यय "314 सामुदायिक विकास-क सामान्य- निदेशन एवं प्रशासन-पंचवर्षीय योजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण का व्यय-पंचायती राज संस्थाओं के गैर-सरकारी सदस्यों का प्रशिक्षण" शीर्षक से 1974-75 के उपबंधित राशि से वहन किया जायगा।

संस्थान के प्राचार्य इस मद के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं तथा पदोनस्थ कर्मचारियों के नियंत्रण पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं। जिला के उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलास्तरीय संस्थान के प्राचार्य के नियंत्रण पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं तथा निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना प्रमंडलीय संस्थान के प्राचार्य के नियंत्रण पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं।

विश्वासभाजन,
के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 6825-ग्रा० पं०

पटना, दिनांक 13 जुलाई [illegible]

प्रतिलिपि सभी उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी उप-निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायती राज-पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के निमित्त अग्रसारित।

के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या 6825-ग्रा० पं०

पटना, दिनांक 13 जुलाई 197[illegible]।

प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई के निमित्त अग्रसारित।

के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव।

8 प्रशिक्षण संस्था के लिये अनुमानित व्यय

(1)	प्राचार्य (510—1155) (उप-समाहर्त्ता के कोटि)	..	8 पद	
	वेतन—833 × 12 × 8	..	..	79,968
	मार्ग व्यय—400 × 12 × 8			38,400
(2)	व्याख्याता (335—555) (प्रवर कोटि के पंचायत पर्यवेक्षक)	..	16 पद	
	वेतन—445 × 12 × 16	..	..	85,[illegible]
	महंगाई 12 × 12 × 16	..	..	2,30[illegible]
	मार्ग व्यय 400 × 12 × 16	..	..	76,[illegible]
(3)	निम्नवर्गीय लिपिक-सह-टंकक (220—315)		8 पद	
	वेतन 268 × 12 × 8	..	..	[illegible]
	महंगाई भत्ता 12 × 12 × 8	..	..	1,[illegible]
	मार्ग व्यय 100 × 12 × 8	..	..	9,[illegible]

(4)	चपरासी (155—190) ..	8 पद	
	वेतन 173×12×8 ..	..	16,608
	महंगाई भत्ता 12×12×8 ..	..	1,152
	मार्ग व्यय 200×12×8 ..	..	19,200
(5)	मकान भाड़ा 300×12×8 ..	..	28,860
(6)	चिकित्सा भत्ता ..	..	2,000
(7)	आकस्मिकतायें ..	..	48,000
(8)	प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका (5 रु० प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से) ।	..	80,000
(9)	प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा भत्ता 10 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से ।	..	16,000
(10)	गेस्ट लेक्चरर 2×25×12×8	..	4,800
(11)	अन्य भत्ते ..	..	8,000
(12)	उपस्कर ..	..	16,000
(13)	पुस्तक ..	..	4,000
(14)	दरी, पेट्रोमेक्स एवं अन्य सामानों के लिये ..	..	16,000
(15)	वर्दी ..	..	2,400
(16)	टंकण यंत्र 2000×8 ..	..	16,000
(17)	डुप्लीकेटिंग मशीन 2000×8 ..	..	16,000
(18)	लेखन सामग्री स्थानीय क्रय ..	..	800
(19)	साईकिल 200×8 ..	..	2,400
			6,17,552

के० जी० हजारी,
सरकार के उप-सचिव ।